सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 343 राँची, शुक्रवार, 19 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

18 जून, 2026

संचिका सं.-5/स.भू. निःशुल्क क्षतिपूरक वनरोपण-30/2026-1748/रा. --

विषय:- झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

1. विभागीय संकल्प सं॰-5888/रा॰, दिनांक-10.11.2016 के माध्यम से क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के सःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में नीति निर्धारित की गई है ।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त विभागीय संकल्प सं॰-5888/रा॰, दिनांक- 10.11.2016 में निर्धारित नीति के निष्पादन की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में विभागीय संकल्प सं॰-2648/रा॰, दिनांक-18.07.2019 के माध्यम से इस हद तक संशोधित करते हुए प्रावधान किया गया है कि, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् क्षतिपूरक वन रोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है ।

3. ध्यातव्य है कि विभागीय पत्रांक-2649/रा॰, दिनांक-29.05.2017 के माध्यम से सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार के विभागों के बोर्ड/निगम/प्राधिकार आदि राज्य सरकार के विभाग नहीं है बल्कि राज्य सरकार के व्यवसायिक उपक्रम है । इस क्रम में सभी जिलों के उपायुक्त को यह निदेशित किया गया कि यदि बोर्ड/निगम/प्राधिकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण किये जाने का मामला विशेष परिस्थिति में आवश्यक हो तो विधिवत् प्रस्ताव गठित कर प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को समर्पित किया जाय ।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अंतर्विभागीय क्षतिपूरक वन रोपन हेतु निःशुल्क भू-हस्तांतरण एवं झारखण्ड राज्य के बोर्ड/निगम/निकाय आदि को विशेष परिस्थिति में क्षतिपूरक वन रोपन हेतु निःशुल्क भू-हस्तांतरण संबंधी मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-15.06.2026 में मद संख्या-18 के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

(i) झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए चिन्हित् कर हस्तांतरित किए जानेवाले गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराए जानेवाले सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है। साथ ही इस प्रकार के क्षतिपूरक वनरोपण में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित नियम प्रभावी होंगे ।

(ii) झारखण्ड राज्य के बोर्ड/निगम/प्राधिकार आदि हेतु चिन्हित् कर हस्तांतरित किए जानेवाले गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराए जानेवाले सरकारी भूमि का हस्तांतरण सःशुल्क होगा परन्तु अत्यंत विशेष परिस्थिति में निःशुल्क किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अधियाची बोर्ड/निगम/ प्राधिकार आदि अपने विभाग के माध्यम से अधियाचना राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को समर्पित करेंगे। प्राप्त अधियाचना पर समीक्षोपरांत उचित माध्यम से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। साथ ही इस प्रकार के क्षतिपूरक वनरोपण में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित नियम प्रभावी होंगे ।

6. विभागीय संकल्प सं॰-2648/रा॰, दिनांक-18.07.2019 एवं विभागीय संकल्प सं॰-5888/रा॰, दिनांक-10.11.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ,

(कमलाकांत गुप्ता),
सरकार के संयुक्त सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 343 - 50